

प्ररुप 5

(नियम 59(1) (ग) और नियम 61(1) देखिए)

(केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम 1981 का नियम 5(2) नियम 12, नियम 13(3), नियम 14(1) और नियम 15(3) देखें)

निवृत्त होने वाले सरकारी सेवक से उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अभिप्राप्त की जाने वाली विशिष्टियाँ

1. नाम
2. (क) आयकर के लिए स्थायी लेखा संख्यांक (पैन)
(ख) आधार संख्या, यदि उपलब्ध है
3. पहचान के कुछ चिन्ह विनिर्दिष्ट करें जो दो से कम न हो, यदि संभव हो
(i)
(ii)
4. ऊँचाई
5. भावी पत्रव्यवहार के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात् पता/स्थायी पता
6. बैंक खाता संख्यांक जिसमें पेंशन जमा की जानी है:
(संयुक्त खाता, या तो उत्तरजीवी या, पति या पत्नी के साथ)
(यदि कार्यालय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि किसी निवृत्त होने वाले सरकारी सेवक का उसके नियंत्रण से परे कारणों से संयुक्त खाता खोला जाना संभव नहीं है, तो इस अपेक्षा को शिथिल किया जा सकेगा।)
7. बैंक की शाखा का नाम जिसके माध्यम से पेंशन ली जानी है
(क) शाखा का बी एफ आर कोड
(ख) शाखा का आई एफ एस सी कोड
8. उपदर्शित करें कि क्या कुटुंब पेंशन किसी अन्य स्रोत से भी अनुज्ञेय है - सेना या राज्य सरकार और/या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लोक उद्यम उपक्रम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निधि
9. मैं केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार अपनी अधिर्विनिता पेंशन काप्रतिशत (40 प्रतिशत तक) के संराशीकरण की वांछ करता हूँ।

मैं अवगत हूँ कि पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी का भावी अच्छा आचरण पेंशन/ कुटुंब पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और इसके जारी रहने के लिए विवक्षित शर्त होगी।

जांच सूची के अनुसार संलग्नक संलग्न हैं

हस्ताक्षर :

पदाभिधान :

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय :

मोबाइल नं. :

ई-मेल आईडी.....

स्थान.....

तारीख.....

टिप्पण 1 : पेंशन का संराशीकरण वैकल्पिक है। मद 9 हटा दी जाए यदि निवृत्त होने वाला सरकारी सेवक, पेंशन की प्रतिशतता को संराशित करने के लिए इच्छुक नहीं है।

टिप्पण 2 : केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के प्ररुप 1क में अधिर्विनिता पेंशन के संराशीकरण के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी यदि निवृत्त होने वाला सरकारी सेवक इस प्ररुप के प्रस्तुत करने के पश्चात् किंतु सेवानिवृत्त के तीन मास पूर्व पेंशन के संराशीकरण के लिए वांछ करता है।

टिप्पण 3 : यह सरकारी सेवक के हित में है कि वह ई मेल आई डी और मोबाइल नं0 दे जो उनमें भावी पत्र व्यवहार को सुकर बनाएगा।

प्ररूप 5 के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची

क्रम सं०	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का वर्णन	क्या संलग्न किया गया है
1. (क)	हस्ताक्षर के दो नमूने (पृथक पन्ने में प्रस्तुत किया जाए)	
(ख)	अतिरिक्त जानकारी (केवल निरक्षर या निःशक्त सरकारी सेवक के मामले में) :- दो पंखियाँ जिनमें से प्रत्येक पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर करने योग्य साक्षर नहीं है, उसके बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छापें जो सम्यक रूप से अनुप्रमाणित की गई हैं, दी जाएगी। यदि ऐसा सरकारी सेवक शारीरिक निःशक्तता के कारण बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छाप देने में असमर्थ है तो वह दाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छाप दे सकता है। जहां सरकारी सेवक के दोनों ही हाथ न हों तो वह अपने पांव की अंगुलियों की छाप दे सकता है। छापों को किसी राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए।	
2.	पति या पत्नी के साथ पासपोर्ट फोटो आकार के संयुक्त फोटोग्राफ की तीन प्रतियां। जहां किसी सरकारी सेवक के लिए अपनी पत्नी या अपने पति के साथ फोटो देना संभव नहीं है तो वह अलग से फोटो दे सकेगा/सकेगी। फोटो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित किए जाएंगे। निःशक्त बच्चे/सहोदर/निर्भर माता-पिता के पासपोर्ट फोटो आकार के फोटो की तीन प्रतियां, जहां लागू है (कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित)	
3.	प्ररूप 3 में कुटुंब का ब्यौरा	
4.	उन व्यक्तियों के लिए जो सी सी एस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 8 में निर्दिष्ट सुरक्षा संबंधी या आसूचना संगठनों में सेवा कर चुके हैं, प्ररूप 26 में वचनबंध	
5.	59(1)(क) के अधीन सेवा की अवधि की गणना के लिए लिखित कथन, यदि कोई है।	
6.	पेंशन संवितरक बैंक द्वारा किए गए किसी अधिक संदाय के प्रतिदाय के लिए वचनबंध	
7.	सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप में उपदान, सी जी ईजीआइएस और जी पी एफ के लिए नामनिर्देशन	
8.	सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप में पेंशन के संराशित मूल्य (यदि पेंशन संराशीकरण के लिए आवेदन किया गया है) और पेंशन के बकाया के लिए नाम निर्देशन	

प्ररूप 7
(नियम 58, नियम 60, नियम 61(1) और (3) तथा नियम 65(1) देखिए)

पेंशन/कुटुंब पेंशन और उपदान का निर्धारण करने के लिए प्ररूप
(पीएओ को सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व भेजा जाए)

भाग - 1

1. निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. पैन सं०
4. ऊंचाई और पहचान के चिन्ह
5. जन्मतारीख
6. वह सेवा जिससे वह संबंधित है (संगठित सेवा का नाम उपदर्शित करें, यदि कोई है, अन्यथा तात्पर्यित साधारण केंद्रीय सेवा
7. सेवा निवृत्ति के समय धारित पद की विशिष्टियाँ
(क) कार्यालय का नाम
(ख) धारित पद
(ग) पद का वेतनमान/वेतनबैंड और ग्रेड वेतन
(घ) मूल वेतन/वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन
(ङ) क्या ऊपर उल्लिखित नियुक्ति सरकार के अधीन है या सरकार से बाहर अन्यत्र सेवा निबंधनों में है।
(च) यदि अन्यत्र सेवा पर है तो मूल विभाग में पद का वेतनमान/वेतनबैंड, वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन।
8. क्या केंद्रीय सरकार के अधीन किसी पद पर अधि-ठायी घोषित किया गया है।
9. सेवा के आरंभ की तारीख
10. सेवा की समाप्ति की तारीख
11. सेवा समाप्ति का कारण (कृपया एक पर निशान लगाएं)
(क) अधिर्निता (नियम 35)
(ख) अधिशि-ट घोषित होने पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (नियम 29-क)
(ग) सरकारी सेवक की पहल पर स्वैच्छिक/समयपूर्व सेवा निवृत्ति (नियम 48, 48क और एफ आर 56(ट) के अधीन
(घ) सरकारी सेवक की पहल पर समय से पूर्व सेवानिवृत्ति (नियम 48 या एफ आर 56(ज)
(ङ) पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन (नियम 37 या 37क/37ख)
(च) चिकित्सा के आधार पर अशक्तता (नियम 38)
(छ) पद की समाप्ति के कारण (नियम 39)
(ज) अनिवार्य सेवानिवृत्ति (नियम 40)
(झ) सेवा से हटाया जाना/पदच्युति (नियम 24 और नियम 41)
(ञ) मृत्यु
12. अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दशा में, सक्षम प्राधिकारी के आदेश कि पेंशन पूर्ण दरों पर अनुज्ञात हो या घटी दरों पर और घटी दरों के मामले में, वह प्रतिशतता जिस पर इसे अनुज्ञात किया जाना है (कृपया नियम 40 देखिए)
13. सेवा से हटाए जाने/ पदच्युति की दशा में क्या अनुकंपा भत्ता मंजूर किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त किए गए हैं और यदि ऐसा है तो किस दर पर (कृपया नियम 41 देखिए)
14. सैन्य सेवा से संबंधित विशिष्टियाँ, यदि कोई है -
(क) सैन्य सेवा की अवधि
(ख) सैन्य सेवा से संबंधित ली गई/ली जा रही सेवांत प्रसुविधाएं
(ग) क्या सिविल पेंशन के लिए सैन्य सेवा की गणना के लिए विकल्प दिया गया है
(घ) यदि उपरोक्त (ग) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या सेवांत प्रसुविधाओं का प्रतिदाय किया गया है

15. स्वायत्त निकाय/ राज्य सरकार में सेवा से संबंधित विशिष्टियां, यदि कोई है -

(क) सेवा की विशिष्टियां :

संगठन का नाम	धारित पद	से	सेवा की अवधि तक	अवधि
--------------	----------	----	-----------------	------

(ख) क्या ऊपर उल्लिखित सेवा, सरकार में पेंशन के लिए गणना में ली जाती है।

(ग) क्या स्वायत्त संगठन ने केन्द्रीय सरकार को अपने पेंशन दायित्व का निर्वहन किया है।

16. क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 9 के निबंधनों में कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां किसी निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित है (नियम 69 के निबंधनों में यदि हां, अनंतिम पेंशन अनुज्ञेय होगी और उपदान विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के नि-क-र्न और अंतिम आदेशों के जारी होने तक रोक लिया जाएगा।)

17. अर्हक सेवा -

(क) सेवा पुस्तिका में लोप, अपूर्णता या कमियों के ब्यौरे जिनकी उपेक्षा की गई है [नियम 59(1)(ख) (ii) के अधीन]

(ख)

(i) बाल सेवा (नियम 13 का दूसरा परंतुक)

(ii) अर्हक सेवा के रूप में गणना में न ली जाने वाली असाधारण छुट्टी (नियम 21)

(iii) नहीं मानी गई अर्हक सेवा के रूप में निलंबन की अवधियां (नियम 23)

(iv) सेवा में व्यवधान [नियम 27(1)(ख) और नियम 28(ग)]

(v) संयुक्त रा-ट्र निकायों के साथ अन्यत्र सेवा जिसके लिए संयुक्त रा-ट्र की पेंशन का फायदा लिया गया है (नियम 31)

(vi) कोई और अवधि जिसे अर्हक सेवा के रूप में नहीं माना गया है (ब्यौरे दें)

(ग) अर्हक सेवा में परिवर्धन -

(i) सिविल सेवा (नियम 18)

(ii) सेना संबंधी सेवा (नियम 19)

(iii) स्वायत्त निकाय में सेवा का लाभ

(घ) शुद्ध अर्हक सेवा

(ङ) पूर्ण -ट्मासिक अवधियों के निबंधनों में अभिव्यक्त अर्हक सेवा (तीन मास या ऊपर की अवधि को पूर्ण -ट्मासिक अवधि के रूप में माना जाए) (नियम 49)

18. परिलब्धियां-

(क) नियम 33 के निबंधनों में परिलब्धियां

(ख) सेवानिवृत्ति से पूर्व दस मास के दौरान ली गई परिलब्धियां

से

तक

वेतन की दर
(एनपीए सहित)

रकम

टिप्पण : यदि सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व कोई अधिकारी अन्यत्र सेवा पर था तो धारणात्मक परिलब्धियां जो उसने सरकार के अधीन प्राप्त की होती ऊपर मद (क) और (ख) में उल्लिखित की जाएँ (नियम 33 के नीचे टिप्पण 7)

(ग) औसत परिलब्धियां (नियम 34)

(घ) परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां (जो भी अधिक हों) जिसकी पेंशन के लिए गणना की जानी है (नियम 49)

(ङ) सेवानिवृत्ति उपदान/ मृत्यु-उपदान के लिए गणना में ली गई उपलब्धियां (नियम 50)

(च) कुटुंब पेंशन के लिए गणना में लिया गया वेतन (नियम 54)

19. सेवानिवृत्ति उपदान/ मृत्यु-उपदान की रकम (नियम 50) (संगणना पत्र का क्रम संख्यांक 9 देखें)
20. उपदान से वसूलीयोग्य सरकारी शोध्यों के ब्यौरे
 (क) सरकारी आवासन के लिए अनुज्ञप्ति फीस
 [नियम 72 के उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) देखें]
 (ख) नियम 73 में निर्दिष्ट शोध्य
 (ग) नियम 72 के उपनियम (5) के अधीन रोके जाने के लिए संपदा निदेशालय द्वारा उपदर्शित रकम
21. (क) प्रस्तावित पेंशन/ सेवा उपदान (नियम 49)
 (ख) पेंशन पर प्रस्तावित महंगाई राहत (सेवानिवृत्ति की तारीख को यथा विद्यमान)
 (ग) वह तारीख जिससे पेंशन आरंभ होनी है (नियम 83)
22. कुटुंब पेंशन की दर -
 (क) बढी दर [नियम 54(3)]
 (ख) वह अवधि जिसके लिए कुटुंब पेंशन बढी दर पर संदेय है ।
 (ग) साधारण दर
 (घ) वह तारीख जिससे कुटुंब पेंशन की साधारण दर संदेय होगी ।
23. पेंशन का संराशीकरण -
 (क) क्या पेंशन आवेदन के साथ पेंशन के संराशीकरण के लिए एक साथ आवेदन किया गया है (केवल उन व्यक्तियों के लिए लागू जो अधिवर्निता पेंशन पर सेवानिवृत्त होते हैं)
 (ख) संराशित पेंशन की प्रतिशतता
 (ग) संराशित मासिक पेंशन की रकम
 (घ) पेंशन क संराशित मूल्य
 (ङ) संराशित भाग की कटौती करने के पश्चात् पेंशन की रकम
 (च) वह तारीख जिससे घटी पेंशन संदेय है
 (छ) वह तारीख जिसको संराशित पेंशन प्रत्यावर्तित की जानी है ।
24. सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति का सेवानिवृत्ति के पश्चात् पता
25. ई-मेल आई डी, यदि कोई है
26. मोबाइल नंबर, यदि कोई है ।

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्ररूप 7 सेवानिवृत्त देयताओं पर समयोचित कार्रवाई हेतु कार्यालय अध्यक्ष के लिए जांच सूची

1. क्या सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी सरकारी आवास का आबंटी है,
2. यदि सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी सरकारी आवास का कोई आबंटी नहीं है तो वह तारीख जिसको कार्यालय द्वारा “बेबाकी प्रमाणपत्र” जारी किया गया है ।
3. वह तारीख जिसको, नियम 57 में यथाउपबंधित, संपदा निदेशालय से “बेबाकी प्रमाणपत्र” प्राप्त करने के लिए कार्यवाही आरंभ की गई थी ।
4. संपदा निदेशालय से “बेबाकी प्रमाणपत्र” की प्राप्ति की तारीख
5. वह तारीख जिसको संपदा निदेशालय से उपदान से रकम की कोई वसूली/उपदान में से सारी रोके जाने संबंधी संसूचना प्राप्त हुई ।
6. वह तारीख जिसको, नियम 59 में यथाउपबंधित, पेंशन के लिए अर्हक सेवा और परिलब्धियों का निर्धारण करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है ।
7. वह तारीख जिसको नियम 73(1) में यथाउपबंधित सरकारी आवास के आबंटन से संबंधित शोध्यों से भिन्न सरकारी शोध्यों का निर्धारण करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है ।
8. वह तारीख जिसको सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को अर्हक सेवा की अवधि और सेवा निवृत्ति उपदान तथा पेंशन के लिए गणना में लिए जाने वाली प्रस्तावित परिलब्धियां/औसत परिलब्धियों के बारे में प्रमाणपत्र के साथ रिक्त प्ररूप-5 प्रस्तुत किया गया था ।
9. क्या उपरोक्त प्रमाणपत्र पर कर्मचारी से कोई आक्षेप प्राप्त हुए हैं ।
10. वह तारीख जिसको कर्मचारी ने पेंशन के लिए प्ररूप 5 में अपना आवेदन प्रस्तुत किया था
11. क्या सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप में निम्नलिखित के लिए नाम निर्देशन किया गया है
 - (i) मृत्यु उपदान/सेवानिवृत्ति उपदान
 - (ii) सी जी ई जी आई एस के अधीन संदाय
 - (iii) साधारण भविष्य निधि की रकम, यदि लागू हो
 - (iv) पेंशन का बकाया
 - (v) पेंशन का संराशित मूल्य (यदि लागू हो)
12. (i) क्या सरकारी सेवक ने सी सी एस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 8 के उपनियम 3क में उल्लिखित किसी संगठन में कार्य किया है
 - (ii) यदि हां, तो क्या प्ररूप 26 में किसी वचनबंध को प्ररूप 5 के साथ प्राप्त किया गया है और अभिलेख में रखा गया है ।
13. क्या प्ररूप 3 में कुटुंब के ब्यौरे संलग्न हैं ।
14. क्या अक्षमता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र (अशक्त पेंशन के लिए)संलग्न हैं ।
15. क्या प्रभावी बचत का कथन और कारण कि नियोजन कहीं और क्यों नहीं पाया जा सकता था, संलग्न है (यदि दावा प्रतिकर पेंशन या उपदान के लिए है)
16. क्या मद सं. 12 या मद सं. 13 के विरुद्ध अनिवार्य सेवा निवृत्ति/पदच्युति/हटाए जाने के मामले में पेंशन की मंजूरी के बारे में सक्षम प्राधिकारी के आदेश अभिलेखबद्ध किए गए हैं ।
17. क्या पेंशन के कागजपत्रों के विलंब के कारणों को उपदर्शित करने वाले, कथन को संलग्न किया गया है सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के छह मास से पूर्व अग्रेनित नहीं किए जाने की
18. क्या सरकारी सेवक पुनःकथन को आगे लाने वाले कथन को संलग्न किया गया है (उन सरकारी सेवकों के मामले में जो सेवा से निलंबित, अनिवार्य सेवा निवृत्ति, हटाए जाने या पदच्युति के पश्चात् बहाल किए गए हैं ।)

भाग 2

1. कार्यालय अध्यक्ष से लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन कागज-पत्रों की प्राप्ति की तारीख
2. अनुज्ञय हकदारियाँ
- अ. अर्हक सेवा की अवधि
- आ. पेंशन
- (i) पेंशन का वर्ग
- (ii) मासिक पेंशन की रकम
- (iii) प्रारंभ की तारीख
- इ. पेंशन का संराशीकरण
- (i) संराशित पेंशन का भाग, यदि कोई है
- (ii) संराशित पेंशन के भाग का संराशित मूल्य, यदि कोई है -
- (iii) संराशीकरण के बाद अवशिष्ट पेंशन
- (iv) वह तारीख जिसको घटी हुई पेंशन संदेय है
- (v) पेंशनभोगी के लगातार जीवित रहने के अध्यक्षीन पेंशन के संराशित भाग के प्रत्यावर्तन की तारीख
- ई) सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान
- (i) उपदान की कुल रकम
- (ii) सरकारी आवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस के बकाए के प्रति समायोजित की जाने वाली रकम और सेवानिवृत्ति के परे सरकारी आवास के प्रतिधारण के लिए फीस (नियम 72(1) और 72(4) देखिए)
- (iii) निर्धारित नहीं की गई अनुज्ञप्ति फीस के कारण रोके जाने के लिए संपदा निदेशालय द्वारा संसूचित रकम (नियम 72(5) देखिए)
- (iv) सरकारी आवास से भिन्न सरकारी शोध्यों के प्रति समायोजित की जाने वाली रकम (नियम 73.....)
- (v) दी जाने वाली शुद्ध रकम
- उ. तत्काल कुटुंब पेंशन
- (i) बढ़ी दर पर
- (ii) वह अवधि जिसके लिए कुटुंब पेंशन बढ़ी दर पर संदेय है
- (iii) सामान्य दर पर
3. लेखा का शीर्ष जिसमें पेंशन, सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान ओर कुटुंब पेंशन की रकम नामे की जानी है ।

लेखा अधिकारी

पेंशन संगणना पत्र

1. नाम
2. पदनाम
3. वेतनमान/वेतनबैंड और ग्रेड वेतन
4. जन्म तारीख
5. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख
6. सेवा निवृत्ति की तारीख
7. पेंशन/उपदान के लिए गणना में ली गई अर्हक सेवा की अवधि (जो पी पी ओ में उपदर्शित की गई है)
8. अंतिम दस मास के दौरान ली गई परिलब्धियां
9. (1) परिलब्धियां और औसत परिलब्धियां जो पेंशन के लिए अधिक लाभप्रद हो (जो पी पी ओ में उपदर्शित की गई है)
- (2) अनुज्ञेय पेंशन (यदि अर्हक सेवा दस वर्ग या अधिक है)
निम्नानुसार संगणना दर्शित की जाए --
परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां/2
10. (1) उपदान के लिए परिलब्धियां(जो पी पी ओ में उपदर्शित की गई है)
- (2) अनुज्ञेय सेवा निवृत्ति उपदान की गणना को निम्नानुसार दर्शित किया जाए
परिलब्धियां /4 X अर्हक सेवा (पूर्ण -नट्मासिक अवधियों में, किंतु 66 से अधिक नहीं)
11. (1) कुटुंब पेंशन के लिए वेतन (जिसे पी पी ओ में उपदर्शित किया गया है)
- (2) अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन
गणना को निम्नानुसार दर्शित किया जाए
(क) साधारण कुटुंब पेंशन
अंतिम लिया गया वेतन X 30 प्रतिशत (विहित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यक्षीन)
(ख) बढी कुटुंब पेंशन
अंतिम लिया गया वेतन/2
(नियम 54 के अनुसार विहित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यक्षीन)

कार्यालय अध्यक्ष

प्रतिहस्ताक्षरित
पी ए ओ

प्रति -- श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सेवा निवृत्त होने वाला सरकारी सेवक

प्ररूप 8
(नियम 61(1) देखिए)

उस पत्र का प्ररूप जिसके साथ सरकारी सेवक के पेंशन पत्र लेखा अधिकारी को भेजे जाएंगे

सं.....
भारत सरकार
.....मंत्रालय
.....विभाग/कार्यालय

तारीख.....

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी

.....
.....

विनय -- पेंशन प्राधिकृत करने के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी.....के पेंशनपत्र

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के /की/ श्री/श्रीमती/कुमारी.....के पेंशनपत्रों को आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए आपको भेजने का निदेश दिया गया है ।

2. उन सरकारी शोध्यों के ब्यौरे, जो सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख को बकाया होंगे और जिन्हें मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान की रकम से वसूल किया जाना है, नीचे उपदर्शित है --

(क) गृह निर्माण या सवारी अग्रिम का अतिशेन	रु०
(ख) वेतन और भत्तों का, जिसके अंतर्गत छुट्टी वेतन भी है, अतिसंदाय.....		रु०
(ग) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य आयकर		रु०
(घ) सरकारी आवास के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति फीस का बकाया		रु०
(ङ) सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे अनुज्ञेय अवधि के लिए सरकारी आवास रखने के लिए अनुज्ञप्ति फीस की रकम		रु०
(च) नियम 72 (5) के अधीन संपदा निदेशालय की संसूचना के अनुसार धारित की जाने वाली रकम		रु०
(छ) कोई अन्य निर्धारित शोध्य और उनकी प्रकृति		रु०

3. आपका ध्यान संलग्नकों की ओर दिलाया जाता है जो इसके साथ भेजे जा रहे हैं ।

4. इस पत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृत करें और इस मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय को जानकारी दें कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक/पेंशनभोगी को संसूचना के अधीन पेंशन के संवितरण के लिए आवश्यक अनुदेश संबद्ध संवितरक प्राधिकारी को जारी कर दिए गए हैं ।

5. आपसे प्राधिकार प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति उपदान इस मंत्रालय/विभाग/ कार्यालय द्वारा निकाला और संवितरित किया जाएगा । पैरा 2 में वर्णित बकाया सरकारी शोध्य, संदाय करने से पूर्व सेवानिवृत्ति उपदान में से वसूल कर लिए जाएंगे ।

भवदीय,

कार्यालय अध्यक्ष

संलग्नकों की सूची --

1. संलग्नकों और जांच सूचियों के साथ सम्यक रूप से भरा हुआ प्ररूप 5 और प्ररूप 7
2. सेवा पुस्तिका (सेवा पुस्तिका में सेवानिवृत्ति की तारीख उपदर्शित की जाए)

टिप्पण

1. यदि विभिन्न परामर्शित अभिलेखों में सरकारी सेवक के आद्यक्षर या नाम गलत रूप में दिए गए हैं तो इस बात का पत्र में वर्णन किया जाना चाहिए ।
2. यदि कोई सरकारी सेवक सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है और सरकारी सेवक से प्ररूप 5

अभिप्राप्त करने में विलंब होने की प्रत्याशा है तो कार्यालय अध्यक्ष पेंशन पत्र, प्ररूप 5 के बिना ही, लेखा अधिकारी को भेजेगा। प्ररूप 5 सरकारी सेवक से अभिप्राप्त होने पर बाद में यथाशीघ्र भेज दिया जाएगा।

प्ररूप 10

(नियम 77(2) देखिए)

जहां कि मृत्यु उपदान दिए जाने के संबंध में कोई वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में हो वहां मृत सरकारी सेवक के नामनिर्देशिती को भेजे जाने वाले पत्र का प्ररूप

सं.....

भारत सरकार

.....मंत्रालय

.....विभाग

तारीख.....

सेवा में,

.....
.....
.....

विनय -- स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी की बाबत मृत्यु उपदान का संदाय।

महोदय/महोदया,

मुझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि..... कार्यालय/विभाग/मंत्रालय के/की स्वर्गीय श्री/श्रीमती/(नाम और पदनाम) द्वारा किए गए नामनिर्देशन के निबंधनों के अनुसार उसके नाम निर्देशित (नामनिर्देशितियों) को मृत्यु उपदान संदेय हैं। उक्त नामनिर्देशन की एक प्रति यहाँ संलग्न हैं।

2. मुझे यह निवेदन करना है कि आप उपदान दिए जाने के लिए अपना दावा संलग्न प्ररूप 12 में प्रस्तुत करें।

3. यदि नामनिर्देशन करने की तारीख के बाद से कोई ऐसी आकस्मिता घटित हो गई हो जिससे कि नामनिर्देशन पूर्णतः या भागतः अविधिमान्य हो जाता हो तो कृपया उस आकस्मिता के ठीकठाक ब्यौरों का उल्लेख करें।

भवदीय,

कार्यालय अध्यक्ष

प्ररुप 11
(नियम 77 (2) देखिए)

जहां कि मृत्यु उपदान दिए जाने के संबंध में कोई वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं हो वहां मृत सरकारी सेवक के कुटुंब के सदस्य या सदस्यों को भेजे जाने वाले पत्र का प्ररुप

सं.....

भारत सरकार

.....मंत्रालय

.....विभाग

तारीख.....

सेवा में,

.....
.....
.....

विनय -- स्वर्गीय श्री/श्रीमती/की बाबत मृत्यु उपदान का संदाय ।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि केंद्रीय सिविल तथा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 50 और 51 के निबंधनों के अनुसार..... कार्यालय/विभाग/मंत्रालय के /की स्वर्गीय श्री/श्रीमती/(नाम और पदनाम) के कुटुंब के निम्नलिखित सदस्यों की मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान बराबर अंशों में संदेय हैं, --

(i) पत्नी/पति, जिसके अंतर्गत न्यायिक रूप से पृथकतः पत्नी/पति भी है

(ii) पुत्र

(iii) अविवाहित पुत्रियां

जिनके अंतर्गत सौतेले बालक और दत्तक बालक

(iv) विधवा पुत्रियाँ

भी आते हैं ।

2. यदि कुटुंब का उपर्युक्त या यथाउपदर्शित कोई भी उत्तरजीवी सदस्य नहीं है तो उपदान कुटुंब के निम्नलिखित सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में संदेय होगा --

(i) पिता

जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में जिनकी

(ii) माता

स्वीय विधि में दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा है, दत्तक

माता पिता हैं ।

(iii) अठारह वर्न से कम की आयु का भाई और अविवाहित और विधवा बहनें, जिनके अंतर्गत सौतेले भाई ओर सौतेली बहनें हैं ।

(iv) विवाहित पुत्रियाँ ; और

(v) पूर्व मृत पुत्र के बालक

3. निवेदन है कि उपदान के संदाय के लिए दावा, यथासंभव शीघ्र, संलग्न प्ररुप 12 में प्रस्तुत किया जाए ।

भवदीय,

कार्यालय अध्यक्ष

प्ररुप 13
(नियम 77 (3) देखिए)
कुटुंब पेंशन दिए जाने के लिए मृत सरकारी सेवक के कुटुंब सदस्य को भेजे जाने वाले पत्र का प्ररुप

सं.....

भारत सरकार

.....मंत्रालय

.....विभाग

तारीख.....

सेवा में,

.....

.....

.....

वि-य -- स्वर्गीय श्री/श्रीमती/की बाबत कुटुंब पेंशन का संदाय ।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के निबंधनों के अनुसार..... कार्यालय/विभाग/मंत्रालय के/की स्वर्गीय श्री/श्रीमती/ (पदनाम) के रूप में आपको कुटुंब पेंशन संदेय हैं,

2. आपको सलाह दी जाती है कि कुटुंब पेंशन दिए जाने के लिए दावा संलग्न प्ररुप 14 में प्रस्तुत किया जाए ।

3. विधवा/विधुर के पुनर्विवाह के पश्चात् मृत्यु या अपात्रता की दशा में, कुटुंब पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार पात्र बालक या बालकों, आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदर भाइयों या बहनों यदि कोई है, को मंजूर की जाएगी ।

4. बालक रहित विधवा की दशा में पुनर्विवाह के पश्चात्, कुटुंब पेंशन इस शर्त के अधीन संदेय होगी कि उसका उपार्जन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अन्तर्गत न्यूनतम कुटुंब पेंशन की राशि और उस पर मंहगाई राहत से कम या उसके बराबर है ।

भवदीय,

कार्यालय अध्यक्ष

प्ररूप 18

(नियम 78(1), नियम 80(1), नियम 80(3) नियम 80(5), नियम 80ख(1) और 80ख(5)
सेवा में रहते हुए सेवक की मृत्यु की दशा में कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान के निर्धारित और प्राधिकृत करने के लिए
प्ररूप

भाग 1

अनुभाग 1

1. मृत सरकारी सेवक का नाम
2. पिता का नाम
3. महिला सरकारी सेवक की दशा में पति का नाम
4. जन्म तारीख (ईसवीं सन के अनुसार)
5. मृत्यु की तारीख (ईसवीं सन के अनुसार)
6. धर्म
7. मृत्यु के समय धारित पद की विशिष्टियाँ
(क) कार्यालय का नाम
(ख) अधि-ठायी पद
(ग) स्थानापन्न पद
(घ) वेतनमान/वेतनबैंड और ग्रेड वेतन
(ङ) वेतनमान/वेतनबैंड और ग्रेड वेतन में वेतन
(च) क्या सरकार के अधीन अंतिम पद धारित किया गया था या विदेश सेवा के निबंधन में सरकार से बाहर था
(छ) यदि अन्यत्र सेवा पर है, तो मूल विभाग के पद का वेतनमान/वेतनबैंड, वेतनबैंड में वेतन
8. सेवा के आरंभ की तारीख
9. (i) सैन्य सेवा की कुल अवधि, यदि कोई है, जिसके लिए पेंशन और/या उपदान मंजूर किया गया था
(ii) सैन्य सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन/उपदान की रकम और प्रकृति
10. स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार में सेवा से संबंधित विशिष्टियाँ, यदि कोई है
(क) सेवा की विशिष्टियाँ

संगठन का नाम	धारित पद	सेवा की अवधि		
		से	तक	अवधि

- (ख) क्या उपरोक्त सरकार में उपदान के लिए गणना ली जाने वाली सेवा है
(ग) क्या स्वायत्त संगठन ने पेंशन संबंधी दायित्व का निर्वहन केंद्रीय सरकार को किया है

11. पूर्व सिविल सेवा के लिए प्राप्त पेंशन/उपदान की रकम और प्रकृति, यदि कोई है
12. मृत्यु उपदान के लिए अर्हक सेवा
(क) सेवा पुस्तिका में लोप, अपूर्णतया कमियों के ब्योरे जिनकी उपेक्षा की गई है
(धारा 59(1) (ख) (ii) के अधीन) --
(ख) गैर अर्हक सेवा की अवधियाँ से तक
(i) नियम 27 और नियम 28 के अधीन माफ किया गया सेवा में व्यवधान
(ii) असाधारण छुट्टी जो उपदान के लिए अर्हक नहीं है
(iii) गैर अर्हक के रूप में मानी गई निलंबन की अवधि
(iv) बाल सेवा (नियम 13 का दूसरा परंतुक)
(v) संयुक्त रा-ट्र निकायों के साथ अन्यत्र सेवा की अवधियाँ जिसके लिए संयुक्त रा-ट्र पेंशन का लाभ लिया गया है (नियम 31)
(vi) कोई अन्य सेवा जिसे अर्हक सेवा के रूप में नहीं समझा गया है
गैर अर्हक सेवा की कुल अवधि
(ग) अर्हक सेवा में परिवर्धन -
(i) सिविल सेवा (नियम 18)

- (ii) सैन्य सेवा
 (iii) किसी स्वायत्त निकाय में सेवा का लाभ
 अर्हित सेवा की कुल अवधि
 (घ) कुल अर्हित सेवा
 (ङ) पूर्ण की गई छह मास की अवधियों के निबंधनों में अभिव्यक्त अर्हक सेवा (तीन मास और तीन मास से अधिक की अवधि को पूर्ण छह मास अवधि के रूप में माना जाए (नियम 49)
13. (क) मृत्यु उपदान के लिए गण्य परिलब्धियां
 (ख) मृत्यु उपदान की रकम
14. मृत्यु उपदान से वसूलीयोग्य सरकारी शोध्यों के ब्यौरे --
 (i) सरकारी आवास के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति फीस (नियम 80ग देखिए)
 (ii) रोके जाने के लिए संपदा निदेशालय द्वारा यथाउपदर्शित रकम (नियम 80ग(i) (v) देखिए)
 (iii) नियम 80ग (2) में निर्दिष्ट शोध्य
15. मृत्यु उपदान के रूप में संदेय शुद्ध रकम
16. नाम निर्देशिती (यों) के ब्यौरे जिनको मृत्यु उपदान संदेय है

क्रम संख्या	नाम	मृत्यु उपदान में शेयर	जन्म तारीख	पता	मृत सरकारी सेवक के साथ नातेदारी

17. संरक्षक/नामनिर्देशिती के ब्यौरे जो अवयस्क/मानसिक निःशक्त बालक के मामले में मृत्यु उपदान का संदाय प्राप्त करेंगे

क्रम सं.	अवयस्क/मानसिक निःशक्तता वाला बालक	संरक्षक का नाम	संरक्षक का पता	मृत सरकारी सेवक के साथ नातेदारी

18. वह तारीख जिसको सरकारी सेवक की मृत्यु के बारे में संसूचना कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्राप्त की गई थी --
 19. वह तारीख जिसको निम्नलिखित के लिए कार्रवाई आरंभ की गई थी --
 (i) नियम 77 में यथाउपबंधित मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन के लिए समुचित रूप में दावेदारों से दावा या दावों को प्राप्त करना ;
 (ii) नियम 80ग(1) में यथाउपबंधित संपदा निदेशालय से 'बेबाकी प्रमाणपत्र' प्राप्त करना,
 (iii) नियम 80ग(2) में यथाउपबंधित सरकारी आवास के अधिभोग से संबंधित शोध्यों से भिन्न सरकारी शोध्यों का निर्धारण
 (iv) नियम 78 और नियम 79 में यथाउपबंधित मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन के लिए अर्हक सेवा और परिलब्धियों का निर्धारण

20. कुटुंब पेंशन के संदाय के ब्यौरे

कुटुंब पेंशन की दर	कुटुंब पेंशन की रकम	वह अवधि जिसमें यह संदेय है	
बढ़ी दर (यदि नियम 54 (3) के अनुसार मृत्यु के समय दी गई सेवा सात वर्न से अधिक है)		से	तक
साधारण दर			
नियम 54 (2क) के अधीन पुराने कुटुंब पेंशन भोगी को उस तारीख पर ही अतिरिक्त कुटुंब पेंशन, यदि कोई है			

21. व्यक्ति जिनको कुटुंब पेंशन संदेय है --

- (i) नाम
 (ii) मृत सरकारी सेवक से नातेदारी
 (iii) पूर्ण डाक पता

22. संरक्षक के ब्यौरे जो अवयस्क/मानसिक निःशक्त बालकों के मामले में कुटुंब पेंशन का संदाय प्राप्त करेगा

क्रम सं०	अवयस्क/मानसिक निःशक्त बालक का नाम	संरक्षक का नाम	संरक्षक का पता	मृत सरकारी सेवक के साथ संरक्षक की नातेदारी

23. लेखाशीर्ष जिसमें मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन विकलनीय है ।

स्थान

तारीख.....

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

अनुभाग 2

नियम 80क के अनुसार कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेने और संवितरित किए जाने के लिए अनंतिम कुटुंब पेंशन और उपदान के ब्यौरे

अनंतिम कुटुंब पेंशन..... रु..... मासिक
मृत्यु उपदान (अनुभाग 1 की मद 13 (b) में उल्लिखित) रु.....

घटाएं
(क) सरकारी आवासन के अधिभोग के लिए उपदान से वसूलनीय अनुज्ञप्ति फीस रु.....
[14 (i)]
(ख) संपदा निदेशालय (अनुभाग 1 की मद 14(ii) के रूप में) से सूचना की रु.....
प्राप्ति के लिए लंबित विधारित उपदान की रकम
(ग) अनुभाग 1 की मद 14(iii) में यथाउल्लिखित अन्य सरकारी शोध रु.....
(घ) (क), (ख) और (ग) का योग रु.....

स्थान.....

तारीख.....

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

भाग 2
लेखा मुखांकन
अनुभाग 1

1. (i) मृत्यु उपदान के लिए स्वीकार की गई अर्हक सेवा की कुल अवधि
(ii) कुटुंब पेंशन के लिए स्वीकार की गई निरंतर सेवा की कुल अवधि
2. सरकारी शोध के समायोजन के पश्चात् मृत्यु उपदान की शुद्ध रकम
3. कुटुंब पेंशन की रकम और मान्य अवधि

कुटुंब पेंशन की दर	कुटुंब पेंशन की रकम	वह अवधि जिसमें यह संदेय है	
		से	तक
बढ़ी दर (यदि नियम 54(3) के अनुसार मृत्यु के समय दी गई सेवा सात वर्ष से अधिक है)			
साधारण दर			
नियम 54(2क) के अधीन पुराने कुटुंब पेंशन भोगी को तारीख पर ही अतिरिक्त कुटुंब पेंशन, यदि कोई है			

4. वह तारीख जिससे कुटुंब पेंशन संदेय है
5. लेखा शीर्ष जिसमें मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन विकलनीय है

अनुभाग 2

1. मृत सरकारी सेवक का नाम.
2. सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख
3. वह तारीख जिसको लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन कागजपत्र प्राप्त किए गए
4. प्राधिकृत कुटुंब पेंशन की रकम
5. प्राधिकृत उपदान की रकम
6. कुटुंब पेंशन के प्रारंभ की तारीख
7. वह तारीख जिसको कुटुंब पेंशन और उपदान संदाय प्राधिकृत किया गया
8. उपदान से वसूलनीय रकम
9. 'बेबाकी प्रमाणपत्र' की प्राप्ति के लंबन पर रोकी गई उपदान की रकम

स्थान
तारीख.....

लेखा अधिकारी

प्ररूप 19
(नियम 81 देखिए)

उस पत्र का प्ररूप जिसके साथ लेखा अधिकारी को ऐसे सरकारी सेवक के, जिसके सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, कुटुंब को कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान के संदाय के लिए कागज पत्र भेजे जाएंगे।

सं.....

भारत सरकार

.....मंत्रालय

.....विभाग, कार्यालय

तारीख.....

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी

.....

.....

.....

वि-य -- कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान की मंजूरी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि..... (पदनाम).....की मृत्यु तारीख..... को हो गई है। उनका कुटुंब, कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान प्राप्त करने का पात्र हो गया है। प्ररूप 18, जो सम्यक रूप से भरा गया है, आगे आवश्यक कार्यवाही के लिए इसके साथ भेजा जा रहा है।

2. मृत सरकारी सेवक की बाबत सरकारी शोध प्ररूप 18 के भाग 1 के अनुभाग 2 में दर्शित मृत्यु उपदान में से वसूल किए जाएंगे।

3. आपका ध्यान संलग्नकों की उस सूची की ओर, जो इसके साथ भेजी जा रही है, आकृ-ट किया जाता है।

4. इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जाए और इस मंत्रालय/विभाग/ कार्यालय को यह सूचना दी जाए कि कुटुंब पेंशन भोगी की संसूचना के अधीन कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान के संवितरण संबंधी आवश्यक अनुदेश संबद्ध संवितरक प्राधिकारी को भेज दिए गए हैं।

भवदीय,

कार्यालय अध्यक्ष

संलग्नकों की सूची

1. सम्यक रूप से पूर्ण प्ररूप 14 (जांच सूची के साथ) और प्ररूप 18
2. सेवा पुस्तिका (सेवा पुस्तिका में मृत्यु की तारीख दर्शित की जाएगी)

प्ररुप 20

(नियम 81(2) देखिए)

सेवा निवृत्त सरकारी सेवक की मृत्यु पर किसी सदस्य (पति पत्नी से भिन्न) को कुटुंब पेंशन मंजूर करने वाले पत्र का प्ररुप

सं.....

भारत सरकार

.....मंत्रालय

.....विभाग, कार्यालय

तारीख.....

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी

.....

.....

विनय --बालक/बालकॉ/आश्रित माता-पिता/निःशक्त सहोदर (भाई-बहन) को कुटुंब पेंशन का दिया जाना ।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय/विभाग के/की श्री/श्रीमती.....भूतपूर्व.....(पदनाम)को उसकी सेवानिवृत्ति पर दिनांक.....से.....रुपए की पेंशन मंजूर की गई थी ।

2. इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि श्री/श्रीमती..... की मृत्यु.....को हुई है और उसने अपनी मृत्यु के समय कोई भी विधवा/विधुर नहीं छोड़ी/छोड़ा किंतु निम्नलिखित उसका उत्तरजीवी था/थे

क्रम संख्या	नाम	जन्म तारीख	पता	मृत पेंशनभोगी के साथ नातेदारी	क्या किसी निःशक्तता से पीड़ित है	वैवाहिक प्रास्थिति

3. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन)नियम, 1972 के नियम 54 के निबंधनों में कुटुंब पेंशन की रकम श्री/कुमारी/श्रीमती.....को संदेय हो गई है । कुटुंब पेंशन/अवयस्कों/मानसिक निःशक्त बालक की ओर से श्री/श्रीमती.....को संदेय हो गई है जो नामनिर्देशिती /संरक्षक है ।

4. श्री/कुमारी/श्रीमती..... को.....रुपये प्रतिमास की कुटुंब पेंशन दिए जाने की मंजूरी एतद्वारा दी जाती है । कुटुंब पेंशन तारीख.....से प्रभावी होगी और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसार धार्य होगी ।

5. कुटुंब पेंशन शीर्षको विकलनीय होगी

6. इसके साथ अग्रेनित संलग्नकों की और आपका ध्यान आकृ-ट किया जाता है ।

7. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति की जाए और इस मंत्रालय/विभाग कार्यालय को सूचना दी जाती है कि कुटुंब पेंशन के संदाय संबंधी आवश्यक अनुदेश कुटुंब पेंशनभोगी को संसूचना के अधीन संबद्ध संवितरण प्राधिकारी को जारी कर दी गई है ।

भवदीय

कार्यालय अध्यक्ष

संलग्नकों की सूची-

1. प्ररुप 14 (जांच सूची के साथ)

प्ररूप 21

(नियम 81 (2) देखिए)

कुटुंब पेंशन पाने वाले की मृत्यु अथवा अपात्रता पर कुटुंब के अन्य व्यक्ति को कुटुंब पेंशन संस्वीकृत करने के लिए पत्र का प्ररूप

सं.....

भारत सरकार

.....मंत्रालय

.....विभाग, कार्यालय

तारीख.....

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी

.....

.....

.....

वि-य -- कुटुंब पेंशन पाने वाले की मृत्यु या अपात्रता पर कुटुंब पेंशन की मंजूरी ।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती.....(जो इस इस मंत्रालय/विभाग कार्यालय में(पदनाम)थे/थी के (नातेदारी) श्री/श्रीमती/ कुमारी को पी पी ओ.सं.....द्वारा तारीख.....से.....रुपये के कुटुंब पेंशन के संदाय को प्राधिकृत किया गया था ।

2. इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई थी कि श्री/श्रीमती..... की तारीख.....कोके कारण मृत्यु हो गई थी/कुटुंब पेंशन के लिए पात्र नहीं है ।

3. मृत सरकारी सेवक/पेंशनभोगी के कुटुंब के उत्तरजीवी सदस्य निम्नलिखित हैं ---

क्रम संख्या	नाम	जन्म तारीख	पता	मृत पेंशनभोगी के साथ नातेदारी	क्या किसी निःशक्तता से पीड़ित है	वैवाहिक प्रास्थिति

4. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन)नियम, 1972 के नियम 54 के निबंधनों में कुटुंब पेंशन की रकम श्री/कुमारी/श्रीमती.....को संदेय हो गई है । अवयस्क/मानसिक निःशक्त बालक की कुटुंब पेंशन श्री/श्रीमती.....को संदेय हो गई है जो नामनिर्देशिती/संरक्षक है ।

5. श्री/कुमारी/श्रीमती..... को.....रुपये प्रतिमास की कुटुंब पेंशन दिए जाने की मंजूरी एतद्द्वारा दी जाती है । कुटुंब पेंशन ता.....से प्रभावी होगी और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसार धार्य होगी ।

6. कुटुंब पेंशन शीर्षके नामे डाली जाएगी ।

7. इसके साथ अग्रे-नित संलग्नकों की और आपका ध्यान आकृ-ट किया जाता है ।

8. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति की जाए और इस मंत्रालय/विभाग कार्यालय को सूचना दी जाती है कि कुटुंब पेंशन के संदाय संबंधी आवश्यक अनुदेश कुटुंब पेंशनभोगी को संसूचना के अधीन संबद्ध संवितरण प्राधिकारी को जारी कर दी गई है ।

भवदीय

कार्यालय अध्यक्ष

संलग्नकों की सूची

1. प्ररूप 14 (जांच सूची के साथ)